



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1947 (श10)

(सं0 पटना 71) पटना, मंगलवार, 20 जनवरी 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

15 जनवरी 2026

सं० एसीस-01/नि०-29/2014-61—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-

(1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के नियम-4 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली के नियम-4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा-

"4. संवर्ग का पदसोपान।- इस संवर्ग की विभिन्न कोटियों एवं पदों के सोपान परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे। संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।"

3. "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के नियम-6 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली के नियम-6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा-

"6. अर्हताएँ।- इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ स्वास्थ्य विभाग के बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली 2023 (समय-समय पर यथासंशोधित)"

में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ताएँ एवं उम्र सीमा के समरूप होंगी।

4. "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के नियम-7 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"7. भर्ती की प्रक्रिया।— इस संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग के बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) संवर्ग नियमावली 2023 (समय-समय पर यथासंशोधित)" में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के समरूप होंगी।

5. "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के परिशिष्ट-1 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के परिशिष्ट-1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"परिशिष्ट - 1"

[नियम 2 (vii), 4, 12 द्रष्टव्य]

"बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग का पदसोपान

| क्र० | कोटि | पदनाम |
|------|---|---|
| 1. | मूल कोटि (संवर्ग के कुल स्वीकृत पद का 60%) | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए०एन०एम०) |
| 2. | प्रोन्नति का प्रथम सोपान (संवर्ग के कुल स्वीकृत पद का 30%) | वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता |
| 3. | प्रोन्नति का द्वितीय सोपान (संवर्ग के कुल स्वीकृत पद का 10%) | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षिका |

नोट— इस संवर्ग के सभी कोटियों का कुल स्वीकृत बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

15 जनवरी 2026

सं० एसीस-01/नि०-29/2014-61, सं० एसीस-01/नि०-29/2014-62 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 15th January 2026

No. ESIS-01/NI-29/2014-61--In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is Pleased to make the following Rules to amend the Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.

1. Short title, extent and commencement:-

- (1) These 'Rules' may be called the "Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre (Amendment) Rules, 2026"
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of publication in the official gazette.

2. Substitution of rule-4 of the "Bihar Employees State Insurance Scheme Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016":- Rule 2 of the said Rules shall be substituted by the following:-

"4. **Hierarchy of posts of Cadre-** Difference categories and chain of posts of this cadre shall be according to Appendix-1. The Personnels regularly already appointed and working to the posts of this cadre prior to coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre."

3. Substitution of rule-6 of the "Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016":- Rule-6 the said rules shall be substituted by the following:-

"6. **Qualifications-** The qualifications for appointment in this cadre shall be similar to the qualifications and age limit prescribed for appointment to the post of Female Health Worker in the Bihar Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) Cadre Rules, 2023 (as amended from time to time) of the Health Department."

4. Substitution subrule (2) of rule-7 of the "Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016":- Subrule (7) of rule-6 the said Rules shall be substituted by the following:-

"7. **Procedure of Recruitment-** The recruitment process in this cadre will be similar to the procedure prescribed for appointment to the post of Female Health Worker in the Bihar Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) Cadre Rules, 2023 (as amended from time to time)."

5. Substitution of Appendix-1 of the "Bihar Employees State Insurance Scheme Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016":- Appendix-1 of the said Rules shall be substituted by the following:-

APPENDIX-1

[See rule 2 (vi), 4, 12]

Hierarchy of posts of Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife)

| S. No. | Category | Name of Posts |
|--------|--|--|
| 1. | Basic Category (60% of the total sanctioned posts in the cadre) | Women Health Worker (Auxiliary Nurse Midwife) |
| 2. | First ladder of Promotion (30% of the total sanctioned posts in the cadre) | Senior Women Health Worker |
| 3. | Second ladder of Promotion (10% of the total sanctioned posts in the cadre) | Women Health Worker Supervisor |

Note:- The total sanctioned strength and pay scale/pay level for all grades in this category will be as determined by the government from time to time.

By the order of the Governor of Bihar,
RAJEEV RANJAN
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 71-571+50-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

निदेशालय चिकित्सा सेवायें
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, 5-बी, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि०-29/2014 - 173

पटना, दिनांक- 20-02-2026

प्रतिलिपि- आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मंगल
20.2.26

अवर सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार